राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2120/2012/सिरोही.
2. अपील संख्या – 2121/2012/सिरोही.
3. अपील संख्या – 2122/2012/सिरोही.
4. अपील संख्या – 2123/2012/सिरोही.

मैसर्स वैभव ऑटो पार्टस, स्वरूपगंज (सिरोही) .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, पाली. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/02/2016

निर्णय

1. ये चार अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के अपील संख्या 34, 35, 36 व 37/आरवेट/सिरोही/2011–12 में राजस्थान मूल्य परिवर्द्वित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे '**वैट अधिनियम**' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.09.2012 के विरूद्व धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन ,वृत–पाली (जिसे आगे '**कर निर्धारण अधिकारी**' कहा जायेगा) के धारा 25, 55, 61 एवं 56 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.06.2011 की पुष्टि करते हुये अपीलें अस्वीकार की हैं।

2. चारों अपीलों मे विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक पृथक रखी जा रही है,

3. प्रकरणों के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत–पाली द्वारा दिनांक 03.12.2010 को किया जाकर पाई गई एक नोट बुक जो Ex.1 मार्क की गई को अभिगृहित किया गया। अभिगृहित नोट बुक की ऑडिट करने व लेखा पुस्तकों से सत्यापन करने के लिये नोटिस जारी करते हुये सुनवाई दिनांक 06.12.2010 नियत की गयी। इसके पश्चात

लगातार.....2

समय समय पर दिनांक 27.12.2010, 28.01.2011 एवं 17.12.2011 की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने मे असफल रहने के कारण उचन्ती बिक्री व उचन्ती खरीद अवधारित करते हुये एकपक्षीय कर निर्धारण पारित किया जाकर निम्नानुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया।

क्र. स.	कर निर्धारण वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
1.	2007—08	01.06.2011	23,246	11,387	46,492+1000
2.	2008—09	01.06.2011	1,06,199	39,279	2,12,398
3.	2009—10	01.06.2011	2,06,013	51,475	4,12,026
4.	2010—11	01.06.2011	1,47,345	20,636	2,94,690

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों पर गौर किये बिना ही अविधिक आदेश पारित किया है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत—पाली पंजीकरण देने के लिये सक्षम अधिकारी नही हैं। अतः उनके द्वारा आरोपित पंजीकरण फीस शास्ति व अविधिक है। सर्वेक्षण में अधिनियम के प्रावधानों की पालना नही की गई है। पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरावंचन, पाली से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत—पाली को बिना किसी सक्षम स्थानानतरण आदेश के भेजी गई है, अतः सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत—पाली द्वारा पारित अविधिक क्षेत्राधिकार विहिन आदेश है। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील अस्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुये अपील स्वीकार करने पर बल दिया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर नही मिला है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तिम जारी नोटिस दिनांक 26.05.2011 को जारी किया गया है, में सुनवाई तिथि 01.06.2011 नियत की गई है। अन्तिम जारी नोटिस चस्पा के द्वारा तामिल होना बताया गया है।

लगातार.....2

पत्रावली में दिनांक 20.05.2011 से पूर्व समस्त कार्यवाही वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली के द्वारा की गयी है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत—पाली ने अपने पत्र क्रमांक 2011—12/221 दिनांक 26.05.2011 के द्वारा उपायुक्त प्रशासन पाली को पत्रावली स्थानान्तरित करने के लिये पत्र प्रेषित किया है, जो पत्रावली में पृष्ठ संख्या 49 पर उपलब्ध है। उक्त पत्र के सन्दर्भ में उपायुक्त (प्रशासन) पाली द्वारा पत्रांक उपा.पा/पीए/स्थाना/2011—12 दिनांक 25.07.2011 से पत्रावली सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत—पाली को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 01.06.2011 को ही पारित कर दिये गये। दिनांक 01.06.2011 को कर निर्धारण अधिकारी आदेश पारित करने की क्षेत्राधिकारिता नहीं रखते हैं। इस प्रकार सक्षम स्वीकृति एवं क्षेत्राधिकारिता के अभाव में पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधिशून्य हो जाता है। अतः क्षेत्राधिकारिता के अभाव में पारित कर निर्धारण आदेश एक विधिक शून्य/रद्द आदेश है।

8. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत—पाली द्वारा पारित आदेश अविधिक आदेश है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। दोनों निम्नतर अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के चारों आदेश अपास्त किये जाते हैं। अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

24.02.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य